

Sie Does Medintor-2700000

Stamp
108000



TC
Suz
Helen
8.10.21

Online Fee Payment

ID/GRN No.

प्रसिद्धि तृण थे लोट
जंख्या 784 तुकार है।
AC

A(1) 81000-∞
L.L.B. 3-00
P.T.C. 1-00
81004-∞

(विक्रय पत्र)

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री अनिल तिवारी पिता स्व० रामधनी तिवारी
जाति—सोमान्य (सी०एन०टी० एकट 1908 के अंतर्गत
आच्छादित नहीं है), निवास स्थान—रेड़मा झरना टोला
रांची रोड़, पोस्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला—पलामू
पेशा—खेती, राष्ट्रीयता—भारतीय। आधार नं० 8541 4622
4884 पैन :— ADKPT3714B मो०नं० 9006087418

शपथ पत्र सं 29.03. दिनांक 08.10.2021

(2) लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री आशीष कुमार पाण्डेय पिता श्री डॉ अमल कुमार
पाण्डे जाति-सामान्य (सी०एन०टी० एकट 1908 के अंतर्गत
आच्छादित नहीं है), निवास स्थान-नियर शिवाजी फिल्ड,
रामादीन नेमा निकेतन, पोस्ट एवं थाना मेदिनीनगर,
जिला-पलामू, पेशा-नौकरी, राष्ट्रीयता-भारतीय। आधार
नं० 8064 8831 4673 पैन:-CHXPP1379R मो०नं०
8051010188 शपथ पत्र सं० २७०५... दिनांक ०६/१०/२०१४

- (3) लेख्य प्रकार— विक्रय-पत्र केवाला (Sale Deed)।
- (4) देय मूल्य—मो 27,00,000 (सताईस लाख रुपये)।
बाजार मूल्य—मो 25,75,000 (पच्चीस लाख पचहतर हजार) रु ।
दर—आवासीय 429011/- रुपये प्रति डी।
- (5) सम्पति का पुरा विवरण—

मवाजी ०-०६ डी० (छ.) डीसमील जमीन आवासीय अन्दर ग्राम—रेडमा, अन्दर शहर मेदिनीनगर वार्ड नं० 18 में जमीन स्थित है। जिसका अंचल वो थाना—मेदिनीनगर, जिला—पलामू में जमीन स्थित है। जमीन हकियत कास्त लेख्यकारी का रैयती मौरुसी हक खास हिस्से में प्राप्त है। जिसपर लेख्यकारी बराबर से अपने दखल कब्जे में है। वर्णित सम्पति को आज के दिन लेख्यकारी विक्रय करते हैं। जिसका सब वो जिला रजिस्ट्री कार्यालय मेदिनीनगर, जिला—पलामू। इस दस्तावेज के साथ नजरी नक्शा भी का एक प्रति संलग्न किया गया है जो इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग है जिसमें विक्री की गई भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है। यह कि दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, मन्दिर, मस्जिद की भूमि भू—दान में प्राप्त अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है और न ही वासीगत पर्चा तथा खुटकटी इत्यादि का नहीं है तथा इसके विक्रय से सी०एन०टी० कानून का उल्लंघन का नहीं हो रहा है।

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	वार्ड नं०
रेडमा	188	51	01	18

खाता नं०	प्लौट नं०	रकवा ए० डी०	चौहड़ी
102	784	०-०६	उ०—आनंद कुमार द०—नीज बिक्रेता प०—बारह फीट रास्ता बिक्रेता द्वारा दिया गया प०—उमा राजेश शर्मा वो नीज बिक्रेता
(एक सौ दो)	(सात सौ चौरासी)	/	

जमा खाता ०१ जमा प्लौट ०१ रकवा ०-०६ (छ.) डीसमील जमीन विक्री करते हैं।

सलाना मालगुजारी— मो 25 नया पैसा अलावे शेष।

नाम मालिक— नाम मालिक झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि खाना संख्या पाँच वसीका हाजा का सम्पत्ति लेख्यकारी का मौजा ऐडमा, अन्दर शहर मेदिनीनगर वार्ड नं 18, जिसका होल्डिंग संख्या—**18A0000028000MO** अंचल थाना—मेदिनीनगर में हकियत कास्त रैयती मौरुसी हक प्राप्त है, जिसका वर्तमान में डिमाण्ड लेख्यकारी के पिता रामधनी तिवारी के नाम से कार्यालय अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू से भूमि धारक प्रमाण पत्र के पत्रांक 184, दिनांक 02.05.2016 द्वारा प्रमाणित होता है कि उपरोक्त भूमि रैयती बकास्त खाते की है। जिसका डिमाण्ड लेख्यकारी के पिता रामधनी तिवारी के नाम से वर्तमान भाग 28 पृष्ठ सं 86 पर दर्ज है एवं होल्डिंग सं 5378 / 180 / 1 से मालगुजारी का रसीद कटते आ रहा है। लेख्यकारी का वंशावली निम्नलिखित इस प्रकार से है।

रामधनी तिवारी

सुनिल तिवारी

अनिल तिवारी (लेख्यकारी)

अनुज तिवारी

यह कि वर्तमान डिमाण्ड लेख्यकारीगण के पिता रामधनी तिवारी के नाम से डिमाण्ड दर्ज है। उनके स्वर्गवास के बाद उनके तीन पुत्र जो कि आपस में सहोदर भाई हैं। मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने—अपने हिस्से पर काबिज हैं। बिक्रय भूमि में अनिल तिवारी खास अपने हिस्से की भूमि बिक्रय करते हैं। जिसके प्रमाण में सुनिल तिवारी तथा अनुज तिवारी ने इस बिक्रय पत्र में अपना—अपना गवाह तथा पहचान के रूप में हस्ताक्षर बनाये हैं जो कि तीनों भाईयों के जानकारी में जमीन बिक्रय होता है। इस जमीन बिक्रय से इन दोनों भाईयों को कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि वर्णित सम्पति पर लेख्यकारी का पूर्ण रूप से अपने दखल कब्जा में बराबर से चले आ रहे हैं एवं आज भी कायम है, लेख्यकारी उपरोक्त विक्रय भूमि को आज से पहले किसी अन्य व्यक्ति के हाथों विक्रय या बंधक नहीं किये हैं और न ही किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्था या संस्थान के साथ बंधक या गिरवी नहीं रखा गया है अगर इन सभी बातों का दोष पाया जायेगा तो उसका पूर्ण जवाबदेही लेख्यकारी का होगा।

इस समय लेख्यकारी को रूपये की अति आवश्यक करने अपने जरुरी कार्य एवं मकान बनाने के लिए रूपये की अति आवश्यक है जो कि खास अपने अपने पास से रूपये का प्रबंध नहीं हो पाने के कारण इस वसिका में वर्णित भूमि को उपर वर्णित खाना संख्या दो (लेख्यधारी) के हाथों मो 27,00,000 (सताईस लाख रूपये) किमत में जमीन बिक्रय किये। जो कि आज के चलते बाजार भाव के अनुसार उचित भी है। इससे अधिक मूल्य कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकें इसलिए लेख्यकारी ने अपने घर परिवार, इत्यादि से सलाह विचार कर अपने अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वच्छता की हालत में रहकर इस वसिका में वर्णित जमीन को लेख्यधारी के साथ बिक्रय किया।

लेख्यकारी ने जमीन बिक्रय की कुल राशि मो 27,00,000 (सताईस लाख रूपया) में से बैंकिंग प्रणाली इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा इस प्रकार से प्राप्त किये हैं।

क्र0सं0	चेक नं0	रकम	दिनांक
1	634604	2,70,000/-	03.09.2021
2	867211	3,60,000/-	06.10.2021
3	बैंक ड्राफ्ट सं0 570509	9,00,000/-	01.10.2021
4	बैंक ड्राफ्ट सं0 570510	2,70,000/-	01.10.2021
5	बैंक ड्राफ्ट सं0 570511	9,00,000/-	01.10.2021
		कुल 27,00,000 रु0 वसूल पाये।	

इस प्रकार विक्रय राशि की मो 27,00,000 (सताईस लाख रूपये) लेख्यधारी से निबंधन के पहले ही वसूल पाकर आज के दिन जमीन बिक्रय किये। अब लेख्यकारी का लेख्यधारी के पास जमीन बिक्रय का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा।

उपरोक्त बिक्रय भूमि को लेख्यकारी ने लेख्यधारी के हाथों इस वसीका के खाना सं० पांच में वर्णित की गई भूमि को बेचा एवं केवला बिक्रय पत्र लिखकर आज व अभी से ही लेख्यधारी को जमीन का मालिक बनाया। जो कुछ भी दखल-कब्जा हक-अधिकार लेख्यकारी एवं उनके वारिसान को प्राप्त था वह सभी आज वो अभी से ही लेख्यधारी को प्राप्त हुआ।

अब चाहिए कि लेख्यधारी खुद मय वारिसान उकत खरीद सम्पति पर शांतिपूर्ण ढंग से काबिज दाखील रहकर मकान बनावें वो उसमें मकान बनावे, चाहरदीवारी बनावे, यानी जो भी उचित समझ मे आवे अपने उपयोग में दर लावें। इससे लेख्यकारी तथा लेख्यकारी के वारिसान को हक या अधिकार नहीं रहेगा और न भविष्य में होगा। लेख्यधारी नाम अपना झारखण्ड सरकार के अंचल कार्यालय से डिमाण्ड रजिस्टर में नामानंतरण करा कर साल ब साल मालगुजारी दिया करें। बदले (सबुत) में मालगुजारी की रसीद प्राप्त किया करे। इससे लेख्यकारी या उनके वारिसान को कोई हक या अधिकार नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। अगर लेख्यकारी या उनके वारिसान किसी प्रकार का अपना हक या अधिकार जमीन विक्रय के बाद दिखाते हैं तो वह सभी इस केवला विक्रय पत्र के आगे गैर कानूनी एवं नाजायज समझा जायेगा।

इसलिए लेख्यकारी ने अपना हर घाटा, नफा वो नुकसान को खुब अच्छी तरह से सोच-समझ कर, अपने अपने मन, शरीर की पूर्ण स्वस्थता के हालत में रहकर, बिना किसी के डराए, धमकाये, फुसलाये वो अपने पूर्ण होशों हवास में बिना किसी नशापान के हालत में रहकर ग्राम रेडमा के खाता संख्या-102 प्लौट संख्या-784, रकवा 0-06 (छ:) डीसमील जमीन आज के दिन लेख्यधारी के हाथों बिक्री किया एवं केवला बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे वो भविष्य में प्रमाण बना रहे।

आज दिनांक :- 06.10.2021

कातिब :- Amit Tiwari
1 "Advocate, Dablong
et Palamau

आश्रित विजय



by Me
Adv.
06.10.21

06.10.21
Amit
Tiwari

Amit Tiwari वर्सिका का मजबून बना कर टंकण करावाकर दोनों पक्षों को पढ़ कर सुना व समझा दिया जिस पर दोनों पक्षों का छायाचित्र एवं सही तथा बाये हाथ के अँगुलियों का निशान बना हुआ है।

टंकण

सन्तु कुमार
मेदिनीनगर, पलामू